रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220

No. 37] DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937 [N.C.T.D. No. 220

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मार्च, 2016

फ. सं. एफ.10(13)/पर्या./2015/1610–1632—पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों का अनुपालन करते हुए पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167–6189 दिनाँक 20.10.2015, एफ 10(13)/पर्या/2015/6345–6372 दिनाँक 30.10.2015, एफ 10(13)/पर्या/2015/7400–7422 दिनाँक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ 10(13)/पर्या/2015/98–130 दिनाँक 05.01.2016 एवं एफ 10(13)/पर्या/2015/436–458 दिनाँक 21.01.2016 और सं. एफ 10(13)/पर्या/2015/1049–72 दिनाँक 15.02.2016 के निरंतरता में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के पत्र संख्या ई.पी.सी.ए./2016/12 दिनाँक 26.02.2016 के अनुसरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) 29.02.2016 से आगे, अगले आदेश तक, निगम द्वारा लगाया जाएगा।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th March, 2016

No. F. 10(13)/Env/2015/1610-1632.—In continuation of notification No. F. 10 (13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, notification No. F10 (13)/Env/2015/6345-6372 dated 30.10.2015, notification No. F. 10 (13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015, amendment notification no. F10 (13)/Env/2015/98-130 dated 05.01.2016, notification no. F. 10 (13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016 and notification No. F. 10 (13)/ Env/2015/1049-1072 dated 15.02.2016 issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015 and 16.12.2015 regarding Environment Compensation Charge (ECC) and in pursuance

to the letter No. EPCA/2016/12 dated 26.02.2016 of Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), Environment Compensation Charge (ECC) shall be levied by the corporation beyond 29.02.2016 till further orders.

KULANAND JOSHI, Spl. Secy. (Environment)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मार्च, 2016

फ. सं. डीएल/सीएलए/बीसीडब्ल्यू/99/3700.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या यू-11030/1/2000-यूटीआई, दिनांक 14 जुलाई, 2000, के साथ पढ़ते हुए, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के बाद, एदत द्वारा दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2002 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियम बनाती है। अर्थात् :-

नियम

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख	1. इन नियमों को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का नियमन) (संशोधन) नियम, 2016 कहा जायेगा। 2. ये नियम दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2.	नियम 271 में संशोधन	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार और सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2002 (जिन्हें यहां बाद में प्रमुख नियम कहा जायेगा), के नियम 271 का स्थान निम्नांकित नियम लेगा, अर्थात्- "271. **प्रसूति लाभ:-** निधि की पंजीकृत महिला सदस्यों और पुरुष सदस्यों की पत्नियों को प्रसूति की अवधि में, उनके द्वारा फार्म 34 में, इस लाभ के लिए निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज के साथ, आवेदन प्रस्तुत करने पर रु. 30,000 प्रसूति लाभ के रूप में दिए जा सकते हैं। उक्त लाभ लाभार्थी के निधि का सदस्य बनने की तारीख से उपलब्ध होंगे। उपरोक्त लाभ केवल पहले दो बच्चों के संदर्भ में दिया जाएगा, बशर्ते प्रसव अस्पताल/नर्सिंग होम में कराया जाए। आपात स्थिति में लाभार्थी को दस्तावेज और अन्य कागज़ात के रूप में यह सिद्ध करना होगा कि पत्नी/महिला श्रमिक गर्भ की अवधि के दौरान गर्भ के संदर्भ में नियमित रूप से अस्पताल/नर्सिंग होम में जा रही थीं। **271(क). गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता:-** गर्भपात के मामले में सदस्य या निधि के किसी सदस्य की पत्नी को रुपये 3000 वित्तीय सहायता के रूप में दिए जा सकते हैं। उक्त लाभ उपरोक्त लाभार्थियों को निधि का सदस्य बनने की तारीख से उपलब्ध होंगा, बशर्ते सरकारी अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।"
3.	नियम 273 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 273 के अंतर्गत, उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नांकित उप-नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- "(5) पेंशन की राशि प्रति माह 3000 रुपये होगी। इसमें प्रति वर्ष 300 रुपये की वृद्धि की जाएगी। बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से पेंशन संशोधित कर सकता है। परंतु यह उपबंधित है कि यह लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा, जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हों"।
4.	**नियम 274 में संशोधन**	प्रमुख नियमों में, नियम 274 के स्थान पर निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- **"274. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम:-** (1) बोर्ड, सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, उन श्रमिकों के संदर्भ में, जिन्होंने अधिवर्षिता के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, रुपये 3,00,000/- और यदि अधिवर्षिता के लिए 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो रुपये 5,00,000/- मकान खरीदने या भवन निर्माण के लिए अग्रिम राशि के रूप में दे सकता है।

		लाभार्थी को फार्म 29 में आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। परंतु यह उपबंधित है कि यह लाभ केवल उन पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा, जो बोर्ड के साथ कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हों। (2) अग्रिम राशि आहरित किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर पूर्णता प्रमाणपत्र बोर्ड के सचिव के पास जमा कराना होगा। मंजूर की गई अग्रिम राशि समान किश्तों में वसूल की जाएगी, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो। निर्मित भवन बोर्ड के तहत तब तक गिरवी रहेगा, जब तक कि श्रमिक द्वारा अग्रिम की अंतिम किशत अदा न कर दी जाए और ऋण लौटाने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाए"।
5.	नियम 275 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 275 के अंतर्गत, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नांकित उप-नियम शामिल किया जाएगाः- "(1) बोर्ड किसी ऐसे लाभार्थी के लिए तीन हजार रुपये महीना विकलांगता पेंशन मंजूर कर सकता है, जो लकवा ग्रस्त होने, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, दुर्घटना, आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो। ऐसा लाभार्थी पेंशन के अतिरिक्त, पूर्ण एवं स्थायी विकलांगता के मामले में अधिकतम एक लाख रुपये अनुग्रह राशि पाने का भी हकदार होगा, जबकि शेष मामलों में अनुग्रह राशि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार विकलांगता के प्रतिशत के साथ संबद्ध होगी। उक्त लाभ निधि का सदस्य बनने की तारीख से उपलब्ध होगा।
6.	**नियम 276 में संशोधन**	प्रमुख नियमों में, नियम 276 के स्थान पर निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगाः- **"276 निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋणः-** अधिकतम 20,000 रुपये तक की राशि निधि के सदस्यों को, निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए मंजूर की जा सकती है। जिन सदस्यों ने निधि में एक वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली हो, और जिन्होंने नियमित रूप से अंशदान जमा कराया हो, तथा जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक न हो, वे इस ऋण के पात्र होंगे। ऋण की वसूली अधिकतम 60 किश्तों में की जाएगी। ऋण के लिए आवेदन फार्म 40 में किया जाएगा, जिसके साथ बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। ऋण के पुनर्भुगतान के निबंधन एवं शर्तें बाद में निर्धारित की जाएंगीः परंतु, यह उपबंधित है कि यह लाभ उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा, जो कम से कम एक वर्ष से बोर्ड के साथ पंजीकृत हों"।
7.	**नियम 276क में संशोधन**	प्रमुख नियमों में नियम 276क के स्थान पर निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- **"276क. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदानः-** बोर्ड निधि के सदस्यों को 5,000 रुपये की अनुदान राशि 5 वर्ष में एक बार निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए मंजूर कर सकता है। इस अनुदान के लिए वे सदस्य पात्र होंगे, जो निधि में 3 वर्ष की सदस्यता पूरी कर चुके हों और जिन्होंने अंशदान नियमित रूप से जमा कराया हो तथा जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक न हुई हो। इस अनुदान के लिए फार्म 40(1)(तैयार किया जाना है) में आवेदन किया जाएगा और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करने होंगेः परंतु, यह उपबंधित है कि उक्त लाभ निधि के केवल उन पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा, जो बोर्ड के साथ कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हों"।
8.	**नियम 277 में संशोधन**	प्रमुख नियमों में, नियम 277 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- **"277. अंत्येष्टि सहायता का भुगतानः-** बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्य के नामित/आश्रित व्यक्ति को अंत्येष्टि व्यय के लिए 10,000 रुपये की राशि मंजूर कर सकता है। इसके लिए फार्म 41 में आवेदन जमा कराया जाएगा। उक्त लाभ पंजीकरण की तारीख से लागू होगा"।
9.	नियम 278 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 278 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

		"278. मृत्यु लाभ का भुगतान:- बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, सदस्य के नामित/आश्रित व्यक्ति को मृत्यु लाभ के रूप में 1,00,000 रुपये की राशि मंजूर कर सकता है। उक्त लाभ पंजीकरण की तारीख से लागू होगा। यदि मृत्यु रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना के कारण हुई हो, तो नामित/आश्रित सदस्य को मृत्यु लाभ के रूप में 2,00,000 रुपये अदा किए जा सकते हैं। यह राशि मृतक सदस्य के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत अदा किए गए मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होगी। उक्त लाभ सदस्यों को पंजीकरण की तारीख से और गैर-पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी उपलब्ध होगा। परंतु, यह उपबंधित है कि (1) मृतक इस अधिनियम की धारा 2(ङ) में परिभाषित अनुसार भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए, परंतु, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत न हो। (2) "रोजगार की अवधि में और काम से इतर" मृत्यु घटित होने की स्थिति में, अन्य बातों के अलावा, दावा तभी स्वीकार्य होगा, जबकि उसके साथ प्राथमिकी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और अन्य समर्थक/संबंधित दस्तावेज संलग्न हों, जो उपरोक्त तथ्यों को सिद्ध करते हों। उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त, जिला डीएलसीज़ द्वारा इस तथ्य का न्यायिक निर्धारण भी होना चाहिए कि मृत्यु रोजगार के दौरान और काम से इतर घटित हुई है"।
10.	नियम 280 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 280 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- **"280. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता:-** बोर्ड उन लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर सकता है, जो दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण 5 या उससे अधिक दिनों के लिए अस्पताल में रहे हों। वित्तीय सहायता प्रथम 5 दिनों के लिए 2,000 रुपये और शेष दिनों के लिए प्रतिदिन 200 रुपये होगी, परंतु, इसकी अधिकतम राशि 10,000 रुपये होगी। यह सहायता ऐसे लाभार्थी को भी मिलेगी, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो और जिसे पलस्तर चढ़ने पर अपने निवास पर रहना पड़ा हो। इसके लिए आवेदन फार्म 42 में जमा करना होगा और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज उसके साथ संलग्न करने होंगे"।
11.	नियम 281 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 281 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- **"281. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता:-** पंजीकृत सदस्यों के बच्चों को शिक्षा के लिए निम्नांकित अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है:-
		प्रमुख नियमों में, नियम 278 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :- (i) कक्षा एक से आठ रुपये 500 प्रति माह (ii) कक्षा 9 से 10 रुपये 700 प्रति माह (iii) कक्षा 11 से 12 रुपये 1000 प्रति माह (iv) स्नातक स्तर पर रुपये 3000 प्रति माह (v) आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए रुपये 4000 प्रति माह (vi) 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए रुपये 4000 प्रति माह (vii) पोलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए रुपये 5000 प्रति माह (viii) 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए रुपये 3000 प्रति माह (ix) इंजीनियरी, मेडिसिन, एम.बी.ए. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रुपये 10,000 प्रति माह (x) दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/ कालेज/प्राइवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।

		परंतु, यह उपबंधित है कि सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और/या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्राइवेट व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। उपरोक्त (i) (ii) और (iii) के लिए वित्तीय सहायता सदस्यों को बोर्ड के साथ पंजीकरण की तारीख से उपलब्ध होगी। उपरोक्त (iv) से (x) के लिए वित्तीय सहायता सदस्यों को बोर्ड के साथ एक वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी। किसी लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके बच्चे कक्षा VIII तक वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहेंगे। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाए, और वह पांच वर्ष से अधिक समय से सदस्य रहा हो, तो उसके बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे किसी पाठ्यक्रम (बोर्ड द्वारा स्वीकृत) के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त कर रहे हों, तो उक्त पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि के लिए सहायता जारी रहेगी, परंतु, उपस्थिति आदि सामान्य शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा। दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों सहित विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों/विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अभिभावकों (पंजीकृत निर्माण श्रमिकों) को फार्म 43 में शपथपत्र दाखिल करने से छूट दी गई है।
12.	नियम 283 में संशोधन	प्रमुख नियमों में, नियम 283 के स्थान पर, निम्नांकित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:- **"283. पारिवारिक पेंशनः-** "किसी पेंशनधारक की मृत्यु होने की स्थिति में उत्तरजीवी पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन की राशि पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। इसके लिए पेंशनधारक की मृत्यु की तारीख से तीन महीने के भीतर, फार्म 45 में आवेदन जमा कराना होगा और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करने होंगे। परंतु, उक्त लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा, जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हों"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश
से तथा उनके नाम पर,

के. आर. मीणा, सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th March, 2016

F. No. DLC/CLA/BCW/99/3700.—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/1/2000-UTI, dated the 14th July, 2000, the Government of National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Expert Committee constituted under section 5 of the said Act, hereby makes the following rules to amend the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Rules, 2002, namely:—

1139 DG/15-2

1. Short title and commencement-

1.These rules may be called the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 271

Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002 (hereinafter referred to the Principal Rules), for rule 271, the following shall be substituted, namely:-

"**271. Maternity benefit:-** The women registered members and wives of male members of the fund may be given Rs. 30,000 as maternity benefit during the period of maternity, on an application made by her/him in Form No. XXXIV with such other documents as may be specified shall be submitted for this benefit. The said benefit shall be available for above beneficiaries from the date of their becoming members of the Fund.

The above benefit will be given in respect of first two children only, provided that the delivery takes place in the hospital/nursing home. In case of emergency, the beneficiary will have to show by way of documents and other papers that during the pregnancy period the spouse/work lady was visiting a hospital /nursing home in connection with pregnancy.

271 (A) Financial assistance for miscarriage:- The member or wife of a member of the fund may be given Rs. 3,000 as financial assistance in case of miscarriage. The said benefit shall be available for above beneficiaries from the date of their becoming members of the Fund, subject to certificate issued by government hospital/nursing home."

3. Amendment of rule 273

In the principal Rules, in rule 273, for sub-rule (5) the following shall be substituted, namely:-

"**(5)** The amount of pension shall be Three Thousand Rupees, per mensem. An increase of Three Hundred Rupees shall be given every year. The Board may with the previous approval of the Government revise the pension:

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year."

4. Amendment of rule 274

In the principal Rules, for rule 274, the following shall be substituted, namely:-

"**274. Advance for purchase or construction of house:-** (1) The Board may, on an application by a member, sanction an amount of Rs.3,00,000/- in respect of workers having 10 years service for superannuation and Rs. 5,00,000/-, if having 15 years service for superannuation as advance for the outright purchase of a house or for the construction of house. The beneficiary shall produce along with the application in Form No. XXIX such documents as may be specified by the Board:

Provided that the said benefit will be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than three years.

(2) A completion certificate shall be submitted to the Secretary of the Board within six months from the date of drawl of advance. The amount sanctioned as advance shall be recovered in equal instalments as may be fixed by the Board. The house constructed will be under hypothecation to Board till the last instalment of advance is paid by the worker and obtains clearance certificate."

5. Amendment of rule 275

In the principal Rules, in rule 275, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:-

"(1) The Board may sanction an amount of Three Thousand Rupees per mensem as disability pension to a beneficiary who is permanently disabled due to paralysis, leprosy, T.B., accident etc. In addition to the pension, he will be eligible for an ex-gratia payment of not more than One Lac Rupees in case of permanent total disability and rest of cases amount linked with percentage of disability as per Employees Compensation Act, 1923. The said benefit shall be available from the date of becoming members of the Fund."

6. Amendment of rule 276

In the principal Rules, for rule 276, the following shall be substituted, namely:-

"**276. Loan for the purchase of work related Tools:-** An amount not exceeding twenty thousand rupees may be sanctioned as loan to the members of the fund, for the purchase of work related tools. Members who have completed one year membership in the Fund and who remit contribution regularly and where age does not exceed fifty five years, will be eligible for this loan. The loan amount shall be recovered in not more than sixty installments. An application in Form No. XL shall be made for this loan with such other documents as may be specified by the Board. Terms and conditions of re-payment of loan shall be prescribed subsequently:

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year."

7. Amendment of rule 276 A

In the principal Rules, for rule 276 A, the following shall be substituted, namely:-

"**276 A. Grant for the purchase of work related tools:-** The Board may sanction an amount of five thousand rupees as grant to the members of the Fund, for the purchase of work related tools once in five years. Those who have completed three years membership in the Fund and those who remit contribution regularly and whose age does not exceed fifty-five years, will be eligible for this grant.

An application in Form No. XL(i) (to be devised) shall be made for this grant along with such other documents as may be specified by the Board:

Provided that the said benefit will be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than three years.

8. Amendment of rule 277

In the principal Rules, for rule 277, the following shall be substituted, namely:-

"**277. Payment of Funeral Assistance**:- The Board may sanction an amount of ten thousand rupees to the nominees/dependents of a member towards funeral expenses in case of death of a member. An application in Form No. XLI shall be submitted for this benefit. The said benefit shall be applicable from the date of registration."

9. Amendment of rule 278

In the principal Rules, for rule 278, the following shall be substituted, namely:-

"**278. Payment of Death Benefit:-** The Board may sanction an amount of one lac rupees to the nominees/dependants of a member towards death benefit, in case of death of the member. The said benefit will be applicable from the date of registration.

1139 DG/15-3

If the death is due to an accident, during the course of employment, the nominee/dependants of member may be given two lac rupees towards death benefit This amount will be in addition to the amount of compensation which may be payable to the deceased member under any other law for the time being in force. The said benefit will be available for members from the date of registration and non registered construction workers also.

Provided that (i) The deceased was a building construction worker as defined in sec. 2(e) of the Act, but was not registered with Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. (ii) Occurrence of Death "during and out of course of employment". Among other things, the claim would be admissible subject to supplemented by an FIR, post mortem report and other supporting /related documents which would establish the above facts. In addition to these documents, judicial determination of the fact that death occurred during and out of course of employment need to be examined and verified by district DLCs."

10. Amendment of rule 280

In the principal Rules, for rule 280, the following shall be substituted, namely:-

"**280. Medical Assistance to beneficiaries:**- The Board may sanction financial assistance to the beneficiaries who are hospitalized for five or more days due to accident or any disease. The financial assistance shall be two thousand rupees for the first five days and two hundred rupees each for the remaining days, subject to a maximum ten thousand rupees. This assistance shall also be given to the beneficiary met with accident and put in plaster at residence. The application in Form No. XLII shall be submitted with such other documents as may be specified by the Board."

11. Amendment of rule 281

In the principal Rules, for rule 281, the following shall be substituted, namely:-

"**281 Financial Assistance for education**:- Children of the registered members may be given financial assistance for education as classified below:—

(i) Class 1 to 8 Rs.500/- P.M

(ii) Class 9 to 10 Rs. 700/- P.M

(iii) Class 11 to 12 Rs. 1,000/- P.M

(iv) Graduation Level Rs. 3,000/- P.M

(v) ITI Courses Rs. 4,000/- P.M

(vi) 5 Years L.LB. Course Rs. 4,000/- P.M.

(vii) Polytechnic Diploma Rs. 5,000/- P.M

(viii) L.LB 3 years Course Rs. 3,000 P.M.

(ix)Technical Course such as Engineering, Medicine, MBA Rs.10,000/- P.M

(x) In respect of distance education/ open learning school/ College/ private study and obtains certificate from recognized School / College /institution–75% of the grant allowed for regular study. Financial assistance will be provided only one time for any graduation level course,

Provided that all Vocational Courses should be approved by National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training and/or any private Vocational Training Institute approved by Central/State Government.

Financial assistance for (i), (ii) and (iii) above shall be available to members from the date of their registration with the Board.

Financial assistance for (iv) to (x) above shall be available to members who have membership for more than one year.

In case a Beneficiary dies his/her children will be still given financial assistance upto Class-VIII.

In case a beneficiary dies, and s/he has been a member for more than five years, then his/her children will get financial education for completing their schooling.

In case a beneficiary dies and his/ her children are already getting financial assistance for any course (accepted by the Board), then the assistance will continue for the normal duration of that course subject to normal conditions like attendance etc.

Filing of affidavit of parents (registered construction workers) in Form No. XLIII for availing financial assistance for their wards/children studying in various Government schools including schools Under MCD, NDMC, Delhi Cantonment Schools is exempted.

12. Amendment of rule 283

In the principal Rules, for rule 283, the following shall be substituted, namely:-

283. Family pension:- In the event of death of a pensioner family pension shall be given to the surviving spouse. The amount of pension will be fifty per cent of the pension received by the pensioner or one thousand hundred rupees whichever is higher. An application in Form No. XLV shall be submitted with such documents as may be specified by the Board within three months from the date of death of the pensioner:

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year.

In the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

K. R. MEENA, Secy. (Labour)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.